बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अ0सं0–3/अ0प्र0–1–96/2022 1895 /पटना, दिनांक– 31.8.23

मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक–3665 अनु0 दिनांक–12.07.2023 द्वारा श्री नवनील कुमार हिमांशु, कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर के विरूद्ध कार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना का आरोप प्रतिवेदित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा विभाग से की गयी। मुख्य अभियंता–3 के पत्र में उल्लेख किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा समाधान यात्रा के दौरान की गयी बैठकों में माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाये गये मामले का श्री हिमांशु द्वारा अनुपालन नहीं किया गया। साथ ही नई अनुरक्षण नीति 2018 के अंतर्गत 4 निविदाओं का तुलनात्मक विवरणी कई पत्र एवं स्मार पत्र दिये जाने के पश्चात् भी श्री हिमांशु द्वारा ससमय अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, समस्तीपुर को उपलब्ध नहीं कराया गया तथा नई अनुरक्षण नीति 2018 के अन्तर्गत Surface Renewal कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष में श्री हिमांशु द्वारा प्रतिदिन किये गये कार्य की प्रगति अत्यन्त धीमी पायी गयी। उक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक–5880 दिनांक–17.09.2022 द्वारा श्री हिमांशु के कार्य के प्रति लापरवाही एवं गैर जिम्मेदाराना रवैया के कारण जन प्रतिनिधियों के बीच विवाद/टकराव की स्थिति उत्पन्न होने का उल्लेख करते हुए इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी।

2. जिलाधिकारी, समस्तीपुर एवं मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में सम्यक् समीक्षोपरांत श्री नवनील कुमार हिमांशु, कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर के विरूद्ध कार्रवाई किये जाने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

3. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री नवनील कुमार हिमांशु, कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–9(1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया निर्धारित किया जाता है।

4. निलंबन अवधि में श्री हिमांशु को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 10 की सुसंगत कंडिकाओं के अनुरूप अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

5. श्री हिमांशु के विरूद्ध मामले में गठित आरोप पत्र के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई का आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
31/8/2023
(संजय दूबे)
विशेष सचिव

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–96/2022 1896 /पटना, दिनांकः– 31.8.23

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर/गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/8/2023
विशेष सचिव

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:Secartary rwd bihar@gmail.com,& secy-reo-bih@nic.in

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–96/2022 1896 /पटना, दिनांकः– 31.8.23

प्रतिलिपिः–माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/जिलाधिकारी, समस्तीपुर/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग,/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, समस्तीपुर/गया/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–12/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5/6 एवं श्री नवनील कुमार हिमांशु, कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/8/2023
विशेष सचिव

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–96/2022 1896 /पटना, दिनांकः– 31.8.23

प्रतिलिपिः–विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

31/8/2023
विशेष सचिव